रूपनगढ

अं० स्वीकार नि० आदेश 22.05.2019

**FORM NO III** APP-A

**फर्द अहकाम** Crim-1

**(नियम 26)**

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मोती पुत्र रामकरण जाति कुमावत नि. ग्राम रूपनगढ बनाम दोदू पुत्र श्री नारायण जाति कुमावत नि. रूपनगढ तह. रूपनगढ

किस्म मुकदमा तह. रूपनगढ 1 नम्बर 185 सन् 2019 ( ) रूपनगढ

225 राज० काश्तकारी अधि.

2019/00185 (रूपनगढ)

| तारीख<br>पेशी | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर<br>श्री इन्देश रामचन्दानी श्री एड | नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.5.19 | यह अपील श्री इन्देश रामचन्दानी एड्वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 09.05.2019, प्रकरण संख्या 31/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। | |

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में प्रथम दृष्टया ही अपीलार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में वांछित अनुतोष में प्रार्थी/अपीलार्थी ने यह चाहा था कि उसके स्वत्व, अधिकार, मिलकीयत खातेदादारी की हिस्सा 1/4 भूमि रहते हुए त्रुटियुक्त राजस्व अंकन के आधार पर जो 1/5 हिस्सा किया गया है को अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट अन्तरण नहीं करे तथा यह पहलू भी सुस्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी की जाति कुमावत के स्थान पर कुम्हार अंकित है वह प्रथमदृष्टया ही त्रुटियुक्त राजस्व अंकन की अशुद्धि है एवं उक्त अशुद्ध राजस्व अंकन जमाबंदी के आधार पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा वांछित राजस्व अनुतोष विधि अन्तर्गत सारवान व सुसंगत था जो प्रथम दृष्टया ही राजस्व दस्तावेजी से प्रमाणित होता है। अपीलार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के साथ प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में धारा 151 जा.दी. संहिता अधीन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसका भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आलोचित आदेश में विवेचन नहीं कर, विधि की मार्मिक त्रुटि की है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में निहित है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील के गुणावगुण निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 01 से 06 अपीलाधीन भूमि को किसी भी रूप में खुर्द–बुर्द,दान, बेचान, बय बख्शीस नहीं करे, प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थी को बलात बेदखल नहीं करे एवं मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151जा.दी. प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आदेश पारित किये ही अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये हैं जबकि अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलांट ने अस्थायी निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी में प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी में निहित हिस्से 1/4 का गलत रूप से हिस्सा 1/5 दर्ज किया गया है। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस उक्त त्रुटियुक्त राजस्व अंकन की आड़ में जबरन 1/4 हिस्से के स्थान पर 1/5 हिस्से का अन्तरण करने में उद्दत हो रहे है। इसलिए आगामी पेशी तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

185/19/225 रूपनगढ़ मोती बनाम दोरू वगैरा

| तारीख पेशी | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| | 2019/00185 श्री रेखा राम ... श्री ... | |

लगातार

की जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151जा.दी. पर आदेश पारित किये बिना ही अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/अपीलांटस ने यह कथन किया कि बिना सुनवाई किये प्रार्थी की अधिकार खातेदारी में निहित हिस्से का गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया है तो अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत आदेश पारित करने चाहिए थे। उक्त आदेश से यदि विवादित आराजी का बेचान हो जाता हैं तो प्रथम दृष्टया अपूर्तनीय क्षति अपीलांट को ही होती। यह अपील अन्तरित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं और अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण उक्त आदेश की अवधि से 30 दिवस में करें तब तक उभय पक्षकारान विवादित आराजी को रहन,बय व मुन्तकिल नहीं किया जावें एवं विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना उचित समझते है।

**अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,रूपनगढ़ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण इस आदेश के प्राप्ति की अवधि से 30 दिवस में करें। तब तक उभयपक्षकारान विवादित आराजी को रहन,बय व मुन्तकिल नहीं करें एवं विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर